कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

पत्रांकः–कु0स0–समिति/ /प्रवे0समि0/2011 दिनांकः– सितम्बर, 2011

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 22.09.2011 का कार्यवृत्त

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 22.09.2011 को कुलपति जी की अध्यक्षता में डॉ0 भगवान दास केन्द्रीय पुस्तकालय स्थित 'समिति कक्ष' में सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1–डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–अध्यक्ष
2–प्रो0मंजुला चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष– मानविकी संकाय एवं (विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग, मंचकला, शा0शिक्षा विभाग एवं प्रभारी–पुस्तकालय विज्ञान)	–सदस्य
3–प्रो0रथीन्द्र प्रसाद सेन, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	–सदस्य
4–प्रो0माता बदल शुक्ल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय	–सदस्य
5–डॉ0सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–सदस्य
6–प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय (विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग, विभागाध्यक्ष, गणित एवं सांख्यिकी विभाग)	–सदस्य
7–प्रो0राम मोहन पाठक, संकायाध्यक्ष, म0मो0मा0हिन्दी पत्रका0 संस्थान	–सदस्य
8–प्रो0प्रभात कुमार सिंह, अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग	–सदस्य
9–प्रो0श्रद्धानन्द, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग	–सदस्य
10–प्रो0महेश विक्रम सिंह, अध्यक्ष, इतिहास विभाग	–सदस्य
11–डॉ0सभाजीत सिंह यादव, अध्यक्ष, दर्शन विभाग	–सदस्य
12–डॉ0अनिल कुमार उपाध्याय, अध्यक्ष पत्रकारिता विभाग	–सदस्य
13–डॉ0शरद बंसल, अध्यक्ष, ललितकला विभाग	–सदस्य
14–प्रो0मधुसूदन मिश्रा, प्रतिनिधि–अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	–सदस्य
15–प्रो0गिरिजा प्रसाद दुबे, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग	–सदस्य
16–प्रो0आनन्द कुमार, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग	–सदस्य
17–डॉ0सुरेश कुमार कनोडिया, अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग	–सदस्य
18–डॉ0शशिकान्ति त्रिपाठी, प्रतिनिधि– अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग	–सदस्य
19–प्रो0ओम प्रकाश सिंह, निदेशक, म0मो0मा0हि0प0संस्थान	–सदस्य
20–डॉ0अजीत कुमार शुक्ल, उपाचार्य, वाणिज्य विभाग	–सदस्य
21–डॉ0धर्मनाथ सिंह, उपाचार्य, समाजकार्य विभाग	–सदस्य
22–डॉ0राजीव कुमार, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग	–सदस्य
23–डॉ0कुन्दन सिंह, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग	–सदस्य
24–प्रो0उमारानी त्रिपाठी, आचार्य, संस्कृत विभाग	–सदस्य
25–डॉ0सूर्यभान प्रसाद, उपाचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग	–सदस्य
26–डॉ0रामहित राम, प्रतिनिधि– मु0गृहपति	–सदस्य
27–प्रो0मुन्नीलाल, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय	–सदस्य
28–श्री आई0पी0झा, उप कुलसचिव	–विशेष आमंत्रित
29–श्री साहब लाल मौर्य, कुलसचिव	–सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने प्रवेश समिति के सदस्यों का स्वागत किया और तदोपरान्त प्रवेश समिति के बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान किया।

प्रवेश समिति की कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ करने के पूर्व ही समिति के सदस्य प्रो0एम0बी0शुक्ला ने कुलपति जी के संज्ञान में लाया कि प्रवेश समिति की गत बैठक दिनांक– 30.03.

2011 के निर्णयों की पुष्टि एवं कृतकार्यवाही सूचना का उल्लेख आज की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है तथा गत बैठक के कतिपय निर्णय ऐसे है जो परीक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र में है।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दिया कि प्रवेश समिति से सम्बन्धित निर्णय पर विचार किया जाय। समिति ने विचारोपरान्त प्रवेश समिति की गत बैठक दिनांक– 30.03.2011 के कार्यवृत्त को सर्वसममति से पुष्ट किया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि बिन्दु संख्या– 05 परीक्षा समिति से सम्बन्धित है। अतः इसे परीक्षा समिति को संदर्भित किया जाय। भविष्य में होने वाली बैठकों में गत बैठक की पुष्टि एवं कृतकार्यवाही की सूचना कार्यसूची में रखा जाय।

विचारणीय बिन्दुओं पर निर्णयः–

1. एम0एफ0ए0 प्रथम वर्ष, सत्र 2011–12 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित श्री शिवशंकर राम, सुश्री कविता, सुश्री अपर्णा सिंह, सुश्री श्वेता मिश्रा एवं सुश्री बबिता निगम के आवेदन पत्र पर विचार।

निर्णयः–समिति के समक्ष आवदेन पत्रों को पढ़कर सुनाया गया। समिति ने गहन विचार विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से कुलपति महोदय को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया।

2. शासनादेश संख्या.–1426/सत्तर–1–2011–16(20)/11 दिनांक–23 अगस्त, 2011 जो कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संवर्ग में स्नातक प्रथम वर्ष में सीट वृद्धि के सम्बन्ध में है, इस कम में विश्वविद्यालय परिसर में सीट वृद्धि पर विचार।

निर्णयः–प्रवेश वृद्धि सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1426/सत्तर–1–2011–16(20)/11 दिनांक–23 अगस्त, 2011 प्रवेश समिति के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। विचार विमर्श के अनन्तर यह सुनिश्चित हुआ कि प्रवेश आवेदन आमंत्रित करते समय विगत वर्षों के शासनादेश एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर सीट संख्या में वृद्धि कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं और तद्नुसार प्रवेश की कार्यवाही की गयी है। अतः अब और सीट वृद्धि का औचित्य नहीं है। अधिकांश विभागाध्यक्षों ने अध्यापकों एवं संसाधन की कमी भी बतायी। कुछ विभागाध्यक्षों के अनुरोध पर यह निर्णय हुआ कि कुलपति महोदय द्वारा सीट वृद्धि की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकेगी कि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उपलब्ध अध्यापक एवं संसाधन को सीट वृद्धि के बाद भी पर्याप्त मानते है।

अध्यक्ष की अनुमति के अन्तर्गतः–

1. डॉ0 अनिल कुमार उपाध्याय ने प्रस्ताव किया कि प्राश्निकों एवं परीक्षकों की सूची विभागाध्यक्षों से मांगी जाय और उसी सूची से कार्य सम्पन्न कराया जाय। विचार विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण परीक्षा समिति से सम्बन्धित है।

2. प्रो0महेश विकम सिंह ने समाचार पत्र में एम0टी0ए0 पाठ्यकम के सम्बन्ध में प्रकाशित भ्रमक सूचना को समिति के संज्ञान में लाया और पाठ्यकम की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश को पढ़कर सुनाया तथा यू0जी0सी0 की सूची में पाठ्यकम के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

   प्रवेश समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पाठ्यकम नियमानुसार संचालित है। अतः समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रामक समाचार के खण्डन हेतु समाचार पत्रों को पत्र प्रेषित किया जाय।

3. समिति के कपिय सदस्यों ने प्रस्ताव किया कि प्रवेश नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाय। प्रवेश समिति ने विचार विमर्श के अनन्तर सर्वसममति से कुलपति जी को अधिकृत किया कि नियमावली अद्यतन करने के लिए संकायाध्यक्षों की समिति गठित करें जो नियमावली को संशोधित/अद्यतन कर प्रस्तुत करें। परिसर की प्रवेश नियमावली स्वीकृत/अनुमोदित होने पर ही वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

4. समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रवेश समिति की आगामी बैठक नवम्बर के अन्तिम सप्ताह/दिसम्बर 2011 के प्रथम सप्ताह में आहूत की जाय।
5. कतिपय विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम प्रभारी द्वारा रिक्त प्रवेश स्थान पर प्रवेश के सम्बन्ध में चर्चा किया गया। प्रवेश समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि प्रवेश हेतु छात्रों के प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम प्रभारी कुलपति जी की स्वीकृति से इच्छुक छात्रों से आवेदन पत्र शुल्क जमा करा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आरक्षण नियमों के अनुसार प्रवेश ले सकते हैं।
6. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विज्ञान संवर्ग में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश से वंचित छात्रों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को संज्ञान में लिया और निर्णय किया कि 30 सीट की सीमा तक विज्ञान संवर्ग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त महाविद्यालय प्रवेश ले सकते हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक के समाप्ति की घोषणा की गयी।

(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—</u>

1. मा0कुलपति जी—सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण।
4. परीक्षा नियन्त्रक को इस आशय से कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करानें का कष्ट करें।
5. प्राचार्य—समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
6. सहायक कुलसचिव— सम्बद्धता।
7. श्री विनोद कुमार, प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि इस निर्णय को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करा दें।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

स०कुलसचिव

1–डॉ0 पी0 नाग, कुलपति	**–अध्यक्ष**
2–समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक	–सदस्य
3–डॉ0अजीत कुमार शुक्ल, उपाचार्य, वाणिज्य विभाग	–सदस्य
4–डॉ0धर्मनाथ सिंह, उपाचार्य, समाजकार्य विभाग	–सदस्य
5–डॉ0राजीव कुमार, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग	–सदस्य
6–डॉ0कुन्दन सिंह, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग	–सदस्य
7–प्रो0उमारानी त्रिपाठी, आचार्य, संस्कृत विभाग	–सदस्य
8–डॉ0सूर्यभान प्रसाद, उपाचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग	–सदस्य
9–मुख्य गृहपति	–सदस्य
10–कुलानुशासक	–सदस्य
11–परीक्षा नियंत्रक	–सदस्य
12–कुलसचिव	–सदस्य / सचिव